

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2011

**का.आ. 290(अ).**— केन्द्रीय सरकार, जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिपुरा सरकार के परामर्श से त्रिपुरा राज्य के ऐसे पौधों और पशुओं की प्रजातियाँ जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) की सूची के अनुसार लुप्त होने के कगार पर हैं अधिसूचित करती हैं, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम संख्या	पौधों के नाम
(1)	(2)
1	स्टिकोन्यूरोन मैम्बरानेसियम, हुक.एफ.
	<b>पशुओं के नाम</b>
1	जिप्स बेंगालेंसिस (जीमेलिन, 1786)
2	सरकोजिप्स कैलबस (स्कोपोलि, 1786)

2. सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही त्रिपुरा राज्य जैव-विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :-

- वैज्ञानिक अनुसंधान;
- वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति संग्रहालय और संग्रहालय ;
- प्रचार; और
- कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण ।

3. त्रिपुरा राज्य जैव-विविधता बोर्ड निम्नलिखित का भार अपने ऊपर लेगा -

- संपूर्ण समझ के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन ;
- यथावत और पूर्ववत् संरक्षण तथा पुर्नवास के प्रयोजन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और
- वन विभाग के कार्मिक, जैव-विविधता प्रबंध समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित प्रजातियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

[फा. सं. 28-12/2008-सीएस-III]

हेम पाण्डेय, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2011

**S.O. 290(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Tripura, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Tripura, namely:—

Table

Sl.No.	Name of the Plants
(1)	(2)
1	<i>Stichoneuron membranaceum</i> Hook.f.
	<b>Name of Animals</b>
1	<i>Gyps bengalensis</i> (Gmelin, 1788)
2	<i>Sarcogyps calvus</i> (Scopoli, 1786)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Tripura State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely:-
- scientific research;
  - herbarium and museum of scientific and academic institutions;
  - propagation; and
  - any other scientific investigation.
3. The Tripura State Biodiversity Board shall undertake:-
- studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;
  - propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and
  - awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

HEM PANDE, Jt. Secy.